20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म०प्र०

कैम्प :- ~~न्यायालय श्रीमान आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद (म०प्र०)~~

रा०प्र०क्रं० :- PBR/निगरानी/बैतूल/भू० रा/2017/3839

संतोष पिता काशीराम उर्फ हगरी जाति मेहरा
निवासी बल्होरा तहसीलमुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)

----------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

✓1-शंकर वल्द सदाराम वामनकर जाति मेहरा
निवासी काजली हाल मुकाम सतना (म०प्र०)

✓2-रम्भा पिता सदाराम (पति भीमराव पाटिल)
निवासी काजली हाल मुकाम माचनानगर बैतूल

✓3-पंछी पितासदाराम (पति केशवराव अतुलकर)
निवासी काजली हाल मुकाम प्रगतिनगर अशोका गार्डन
भोपाल (म०प्र०)

4-फूलवंती पिता सदाराम (पति माधोराव सरवडे)
निवासी काजली तहसीलमुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)

-------------------गैरपुनरीक्षणकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री आनंदशर्मा द्वारा दिनांक 27/9/17 को भोपाल कैम्प में प्रस्तुत किया
(हस्ताक्षर) 27/9/17
(डिप्टी रीडर)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण रा०अ०क्रं० 218-अ/6 वर्ष 2017 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/8/2017 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर समयावधि में प्रस्तुत करता है :-

-: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतू /भू.रा./2017/3839

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षरं
3-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के आदेश दिनांक 22-8-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी मुलताई द्वारा दिनांक 9-1-18 को अन्तिम आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 8-8-13 निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक होने से खारिज की जाती है । अध्यक्ष	